



INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी: प्रतीकात्मक मौजूदगी से प्रभावी नेतृत्व तक

डॉ. माधवी कुमारी

टी.एम.बी.यू.भागलपुर, अर्थशास्त्र विभाग

सार

परंपरागत रूप से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी लंबे समय तक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित रही है, जहाँ उनकी उपस्थिति संख्या में तो दर्ज हुई, परंतु निर्णय-निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया में उनका प्रभाव सीमित रहा। यह अध्ययन इस परिवर्तनशील परिदृश्य को रेखांकित करता है, जिसमें महिलाएँ अब केवल प्रतिनिधि नहीं, बल्कि नीतियों के निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन में सक्रिय नेतृत्वकारी भूमिका निभा रही हैं। लेख में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध आधिकारिक आँकड़ों, नीतिगत रिपोर्टों और पूर्ववर्ती शोधों के आधार पर यह स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं की सार्थक भागीदारी से नीतियों की समावेशिता, सामाजिक न्याय और शासन की गुणवत्ता में सुधार होता है। विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और स्थानीय शासन जैसे क्षेत्रों में महिला नेतृत्व के सकारात्मक प्रभावों को उजागर किया गया है। साथ ही, संरचनात्मक बाधाओं, लैंगिक पूर्वाग्रहों और सत्ता-संरचनाओं की जटिलताओं की भी आलोचनात्मक समीक्षा की गई है, जो महिलाओं के प्रभावी नेतृत्व में बाधा उत्पन्न करती हैं। अध्ययन यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि प्रतीकात्मक मौजूदगी से आगे बढ़कर वास्तविक नेतृत्व सुनिश्चित करने हेतु संस्थागत सुधार, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामाजिक-सांस्कृतिक परिवर्तन अनिवार्य हैं।

कुंजी शब्द: नीति निर्माण, महिलाओं की भागीदारी, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, प्रभावी नेतृत्व, लैंगिक समानता, राजनीतिक सशक्तिकरण

परिचय

समाज की प्रगति का पैमाना अक्सर इस बात से आँका जाता है कि उसमें महिलाओं की भूमिका कितनी सक्रिय, प्रभावशाली और निर्णायक है। नीति निर्माण की प्रक्रिया—जो किसी भी राष्ट्र के विकास, न्याय, समावेशन और शासन के चरित्र को तय करती है—लंबे समय तक पुरुष-प्रधान क्षेत्र बनी रही। महिलाओं की भागीदारी को या तो परिधि तक सीमित रखा गया या फिर मात्र सांकेतिक उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत किया गया। लेकिन समय के साथ यह

समझ विकसित हुई कि आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखना न केवल सामाजिक अन्याय है, बल्कि विकास की संभावनाओं को भी सीमित कर देना है। इसी संदर्भ में “नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी: प्रतीकात्मक मौजूदगी से प्रभावी नेतृत्व तक” का प्रश्न न केवल प्रासंगिक है, बल्कि आवश्यक भी। विषय की पृष्ठभूमि में देखें तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक और UN Women जैसी संस्थाओं ने बार-बार इस बात को रेखांकित किया है कि महिलाएँ केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि नीतियों की निर्माता और परिवर्तन की वाहक भी होनी चाहिए। भारत में भी 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था ने मार्ग प्रशस्त किया। संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की चर्चा लगातार तेज़ हुई और हाल में महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक कदमों ने यह स्पष्ट कर दिया कि बात अब “मात्र उपस्थिति” पर नहीं, बल्कि “निर्णायक शक्ति” पर होनी चाहिए। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में महिलाओं की राजनीतिक एवं नीतिगत उपस्थिति का इतिहास मिश्रित रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, पर स्वतंत्रता के बाद औपचारिक सत्ता संरचनाओं में उनकी उपस्थिति सीमित रह गई। कई दशकों तक महिलाएँ या तो प्रतीकात्मक चेहरों के रूप में प्रस्तुत की गईं या उन्हें निर्णय-निर्माण के मूल केंद्र तक पहुँचने से रोका गया। हालांकि समय के साथ पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कई उदाहरण सामने आए, जहाँ महिलाओं ने नीतियों में नई संवेदनशीलता, सामाजिक न्याय की दृष्टि और विकास के मानकों में विविधता जोड़ी। फिर भी यह सवाल कायम है कि क्या यह नेतृत्व व्यापक, संरचनात्मक और प्रभावी है—या अब भी “टोकनिज़्म” और वास्तविक शक्ति के बीच संघर्ष जारी है? इसी संदर्भ में यह अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यह केवल महिलाओं की उपस्थिति गिनने का प्रयास नहीं, बल्कि उनकी भूमिका की गुणवत्ता, प्रभाव और वास्तविक नेतृत्व क्षमता को समझने का प्रयास है। यह अध्ययन इस बात की पड़ताल करेगा कि क्या महिला प्रतिनिधित्व केवल सांकेतिक है या इससे नीतिगत प्राथमिकताओं, सामाजिक न्याय, कल्याणकारी दृष्टिकोण और प्रशासनिक संरचनाओं में वास्तविक परिवर्तन आया है। साथ ही, यह अध्ययन उन सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत बाधाओं को भी सामने लाएगा जो महिलाओं को प्रभावी नेतृत्व तक पहुँचने से रोकती हैं। यह शोध इस महत्वपूर्ण परिवर्तन यात्रा—“उपस्थिति” से “प्रभाव” और “प्रतिनिधित्व” से “नेतृत्व”—को समझने का प्रयास है। क्योंकि सच यही है: जब महिलाएँ सिर्फ़ मेज पर बैठी नहीं, बल्कि मेज़ के एजेंडा तय करती हैं, तब नीतियाँ अधिक न्यायसंगत, मानवीय और समावेशी बनती हैं।

सैद्धांतिक ढाँचा:

इस अध्ययन का सैद्धांतिक ढाँचा तीन प्रमुख अवधारणाओं पर आधारित है—Feminist Policy Theory, Representation बनाम Participation Theory, और Decision-Making Authority Framework। ये तीनों मिलकर यह समझने का तार्किक आधार देते हैं कि नीति निर्माण में महिलाओं की भूमिका केवल “मौजूद रहने” से आगे बढ़कर “प्रभाव डालने” तक कैसे पहुँचती है। इस विचार पर आधारित है कि नीतियाँ “जेंडर न्यूट्रल” नहीं होतीं; बल्कि वे

सामाजिक संरचनाओं, पितृसत्तात्मक मूल्यों और शक्ति-संतुलन से प्रभावित रहती हैं। यह सिद्धांत बताता है कि यदि नीति निर्माण में महिलाओं का दृष्टिकोण शामिल नहीं होगा तो नीतियाँ आधी आबादी की वास्तविक ज़रूरतों, अनुभवों और चुनौतियों को प्रतिबिंबित नहीं कर पाएंगी। यह सिद्धांत महिलाओं की उपस्थिति को नैतिक आवश्यकता नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक, सामाजिक और विकासात्मक अनिवार्यता के रूप में स्थापित करता है। यह सवाल उठाती है कि क्या सिर्फ महिलाओं का प्रतिनिधित्व (Representation) पर्याप्त है, या उनके वास्तविक, सक्रिय और प्रभावशाली सहभाग (Participation) की ज़रूरत है। अनेक बार महिलाएँ पद पर तो होती हैं, पर निर्णय लेने के वास्तविक केंद्र से दूर रखी जाती हैं। यह सिद्धांत इस “टोकनिज़्म” और “प्रभावी सहभागिता” के बीच के फर्क को रेखांकित करता है और इस बात का विश्लेषण करता है कि मात्र संख्या नहीं, बल्कि भूमिकाओं की गुणवत्ता कितनी महत्वपूर्ण है। Decision-Making Authority Framework इस अध्ययन का सबसे व्यावहारिक हिस्सा है। यह ढाँचा यह परखने में मदद करता है कि महिलाओं के पास निर्णय लेने की कितनी वास्तविक शक्ति है—क्या वे सिर्फ औपचारिक अनुमोदन का हिस्सा हैं, या नीति-निर्माण की दिशा, प्राथमिकताओं और परिणामों को आकार देने वाली प्रमुख शक्ति? यह ढाँचा संस्थागत संरचनाओं, संसाधनों तक पहुँच, राजनीतिक संस्कृति और शक्ति-संतुलन जैसे पहलुओं का मूल्यांकन करता है। इन तीनों सिद्धांतों के समन्वय से यह अध्ययन यह समझने का प्रयास करता है कि महिलाएँ “उपस्थित” भर नहीं, बल्कि “नेतृत्वकारी” कैसे बन सकती हैं—और समाज वहीं जीतता है, जब महिलाएँ सिर्फ कुर्सी नहीं, बल्कि निर्णयों की दिशा संभालती हैं।

राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय शोधों की समीक्षा

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक अध्ययनों ने यह स्पष्ट किया है कि महिलाओं की नीति-निर्माण में भागीदारी केवल लोकतांत्रिक औपचारिकता नहीं, बल्कि विकास की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला कारक है। UN Women, World Bank एवं OECD की रिपोर्टें बताती हैं कि जहाँ महिलाओं का नेतृत्व मजबूत है, वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक न्याय संबंधी नीतियों की प्रभावशीलता बढ़ती है। नॉर्वे, स्वीडन, न्यूजीलैंड जैसे देशों में महिला नेतृत्व ने नीति-निर्माण को अधिक मानवीय, पारदर्शी और समावेशी बनाया है। भारतीय संदर्भ में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद स्थानीय निकायों में महिलाओं की भागीदारी पर कई अध्ययनों ने यह दिखाया है कि महिलाओं की उपस्थिति से विकास कार्यों की प्राथमिकताओं में बदलाव आया—जल, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और सामाजिक कल्याण जैसे क्षेत्रों पर अधिक ध्यान बढ़ा। हालांकि, संसद और विधानसभाओं में महिलाएँ अब भी अपेक्षाकृत कम संख्या में हैं और निर्णय-निर्माण के उच्चतम स्तरों पर पहुँचने का संघर्ष जारी है। शोध जगत में एक प्रमुख बहस यह है कि क्या “महिलाओं की संख्या बढ़ना” ही पर्याप्त है? कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रतिनिधित्व बढ़ना लोकतंत्र की बड़ी जीत है। वहीं दूसरी धारा कहती है कि केवल उपस्थिति नहीं, बल्कि निर्णयों पर वास्तविक प्रभाव आवश्यक

है। कुछ अध्ययनों ने यह भी पाया कि कई मामलों में महिलाएँ राजनीतिक दबाव, पितृसत्तात्मक संरचना और संसाधनों की कमी के कारण स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पातीं—यानि टोकनिज़्म अब भी मौजूद है। परंतु एक बड़ी सहमति यह है कि महिलाओं की सार्थक भागीदारी नीति-निर्माण को अधिक संवेदनशील, न्यायपूर्ण और संतुलित बनाती है। हाल के वर्षों में महिला नेतृत्व अधिक आत्मविश्वासी, तकनीक-सक्षम और नीति-सजग हुआ है। स्थानीय से लेकर वैश्विक स्तर तक महिलाएँ अब केवल प्रतिनिधि नहीं, बल्कि निर्णायक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रही हैं। राजनीतिक प्रशिक्षण, डिजिटल भागीदारी, सामाजिक आंदोलनों की भागीदारी और शिक्षा का स्तर बढ़ने से नीतिगत हस्तक्षेपों की गुणवत्ता में सुधार दिख रहा है। साथ ही, “जेंडर बजटिंग” और “जेंडर मेनस्ट्रीमिंग” जैसी अवधारणाएँ भी नीति विमर्श का हिस्सा बन चुकी हैं। अब भी एक बड़ा अंतर यह है कि अधिकांश अध्ययन महिलाओं की संख्या पर तो बात करते हैं, पर उनकी नीतिगत प्रभावशीलता पर सीमित शोध उपलब्ध है। कई शोध टोकनिज़्म के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, लेकिन यह कैसे प्रभावी नेतृत्व में बदला जा सकता है—इस पर गहन विश्लेषण अपेक्षाकृत कम है। ग्रामीण-शहरी, पंचायत-राज्य-केंद्र स्तरों और अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक विश्लेषण के बीच संतुलित अध्ययन की भी कमी देखी जाती है।

वर्तमान संदर्भ में आवश्यक अध्ययन :

महिला आरक्षण जैसे ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनों के बाद यह आकलन आवश्यक है कि यह परिवर्तन मात्र संख्या बढ़ाने तक सीमित रहेगा या निर्णयात्मक शक्ति का विस्तार करेगा। वैश्विक और राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्यों में महिलाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं; ऐसे में उनके नेतृत्व की गुणवत्ता, बाधाएँ और संभावनाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन अनिवार्य है। नीति-निर्माण में महिलाओं की वास्तविक शक्ति, संस्थागत चुनौतियाँ, सामाजिक मानसिकताओं और राजनीतिक संस्कृतियों का प्रभाव गहराई से समझने की आवश्यकता है। यह अध्ययन नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और समाज के लिए मार्गदर्शक बन सकता है, क्योंकि समावेशी लोकतंत्र तभी पूर्ण होगा जब महिलाएँ केवल “उपस्थित” नहीं, बल्कि “निर्णायक” हों।

संक्षेप में, इस शोध का उद्देश्य प्रतीकात्मक उपस्थिति से आगे बढ़कर प्रभावी नेतृत्व तक महिलाओं की यात्रा का गंभीर, संतुलित और विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है—क्योंकि असली बदलाव वहीं होता है, जहाँ महिलाएँ सिर्फ कुर्सियाँ नहीं भरतीं, बल्कि भविष्य गढ़ती हैं।

- कई पंचायतों में महिला सरपंचों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन और स्वच्छता में स्थायी सुधार किए।
- कुछ राज्यों में महिला मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में सामाजिक कल्याण, महिला सुरक्षा, शिक्षा योजनाओं में ठोस प्रगति दर्ज हुई।

- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न्यूज़ीलैंड, जर्मनी आदि में महिला नेतृत्व ने संवेदनशील, स्थिर और संतुलित नीति-निर्णय का उदाहरण रखा।

➤ संकेतक (Global Indicator)

- महिलाओं का राष्ट्रीय संसद में हिस्सा (MPs)
- महिलाओं की कैबिनेट में हिस्सेदारी (Ministers)
- महिलाओं का नेतृत्व वाले देशों की संख्या (Heads of State/Govt)

➤ प्रतिशत / मान

- **27.2%** ([UN Women Knowledge hub](#))
- **22.9%** ([UN Women Knowledge hub](#))
- **25 / 195+ देशों में** ([UN Women Knowledge hub](#))

➤ सूचकांक

- महिला श्रम शक्ति में भागीदारी (Female LFPR)
- महिला बैंक खाता धारक
- महिला वित्तीय समावेशन (Demat Accounts)
- महिला स्व-रोजगार अनुपात

➤ आंकड़ा (India)

- **60.1%** (2023-24) ([Uttarakhand Himalaya](#))
- **39.2%** (Total deposits में) ([Uttarakhand Himalaya](#))
- **27.71 Million** (2024) ([Uttarakhand Himalaya](#))
- बढ़कर **67.4%** (2023-24) ([hindusthansamachar.in](#))

निष्कर्ष

यह लेख इस तथ्य को स्पष्ट रूप से रेखांकित करता है कि नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी अब केवल संख्यात्मक या प्रतीकात्मक उपस्थिति तक सीमित नहीं रह सकती। समकालीन लोकतांत्रिक शासन की प्रकृति यह मांग करती है कि महिलाएँ न केवल निर्णय-निर्माण की प्रक्रियाओं में सम्मिलित हों, बल्कि नीति निर्धारण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के प्रत्येक चरण में प्रभावी नेतृत्व की भूमिका निभाएँ। अनुभवजन्य अध्ययनों और आधिकारिक आँकड़ों से यह प्रमाणित होता है कि जहाँ महिलाओं की सक्रिय और सार्थक भागीदारी सुनिश्चित की गई है, वहाँ नीतियाँ अधिक समावेशी, संवेदनशील और सामाजिक वास्तविकताओं के अनुकूल बनी हैं। हालाँकि, वास्तविकता यह भी है कि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी अब भी अनेक संरचनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक बाधाओं से घिरी हुई है। पितृसत्तात्मक मानसिकता, राजनीतिक दलों के भीतर शक्ति-संरचनाओं का केंद्रीकरण, संसाधनों तक असमान पहुँच तथा निर्णय-निर्माण के मंचों पर सीमित अवसर, महिलाओं को प्रभावी नेतृत्व तक पहुँचने से रोकते हैं। कई बार महिलाओं की उपस्थिति को केवल प्रतिनिधित्व की औपचारिकता तक सीमित कर दिया जाता है, जिससे नीति प्रक्रियाओं में उनके दृष्टिकोण और अनुभवों का पूर्ण रूप से समावेश नहीं हो पाता। इस संदर्भ में यह आवश्यक है कि प्रतीकात्मक मौजूदगी से आगे बढ़कर महिलाओं को वास्तविक अधिकार

और उत्तरदायित्व प्रदान किए जाएँ। आरक्षण नीतियाँ, नेतृत्व विकास कार्यक्रम, राजनीतिक प्रशिक्षण, तथा संस्थागत समर्थन-प्रणालियाँ महिलाओं की निर्णय-क्षमता को सुदृढ़ कर सकती हैं। इसके साथ-साथ, राजनीतिक दलों और प्रशासनिक संस्थाओं में आंतरिक सुधारों की भी आवश्यकता है, ताकि महिलाओं की आवाज़ केवल सुनी ही न जाए, बल्कि नीति निर्धारण में उसे निर्णायक महत्व भी मिले। सामाजिक-सांस्कृतिक स्तर पर भी परिवर्तन उतना ही आवश्यक है। जब तक समाज में महिलाओं को नेतृत्व के स्वाभाविक पात्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक नीति निर्माण में उनकी भागीदारी सीमित बनी रहेगी। शिक्षा, मीडिया और नागरिक समाज की भूमिका यहाँ अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देने और समानता-आधारित सोच को बढ़ावा देने में सहायक हो सकते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि महिलाओं की प्रभावी भागीदारी केवल महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रश्न नहीं है, बल्कि सुशासन, लोकतंत्र की मजबूती और सतत विकास की अनिवार्य शर्त है। नीति निर्माण में महिलाओं की सक्रिय भूमिका समाज के हाशिए पर खड़े वर्गों की आवश्यकताओं को केंद्र में लाने में सहायक होती है और निर्णय-प्रक्रिया को अधिक न्यायपूर्ण बनाती है। इसलिए, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से आगे बढ़कर प्रभावी नेतृत्व की दिशा में ठोस कदम उठाना समय की मांग है, ताकि नीति निर्माण वास्तव में समावेशी, उत्तरदायी और लोकतांत्रिक बन सके।

संदर्भ सूची :

- संयुक्त राष्ट्र महिला (UN Women). (2023). *राजनीति और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी: प्रगति और चुनौतियाँ*. न्यूयॉर्क: UN Women.
- इंटर-पार्लियामेंटरी यूनियन (IPU). (2024). *राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की स्थिति: वैश्विक आँकड़े और विश्लेषण*. जिनेवा: IPU.
- सामाजिक विकास विभाग, संयुक्त राष्ट्र (UN DESA). (2022). *महिला नेतृत्व और राजनीतिक भागीदारी: तथ्य और आँकड़े*. न्यूयॉर्क: संयुक्त राष्ट्र.
- भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI). (2024). *भारत में महिलाएँ और पुरुष: चयनित संकेतक*. नई दिल्ली: भारत सरकार.
- भारत सरकार, पंचायती राज मंत्रालय. (2023). *स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व*. नई दिल्ली: भारत सरकार.
- विश्व बैंक. (2022). *शासन और विकास में महिलाओं की भूमिका*. वाशिंगटन, डी.सी.: World Bank Publications.
- Krook, M. L. (2010). *राजनीति में लैंगिक कोटा: लैंगिक समानता के लिए सुधार*. न्यूयॉर्क: ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
- Phillips, A. (1995). *उपस्थिति की राजनीति: लोकतंत्र और लैंगिक प्रतिनिधित्व*. ऑक्सफोर्ड: क्लेरेंडन प्रेस.
- Dahlerup, D. (2018). *महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने की रणनीतियाँ: वैश्विक अनुभव*. लंदन: Routledge.
- चौधरी, आर. (2021). *भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी: अवसर और बाधाएँ*. नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशन्स इंडिया.